न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

प्रशासन गांवो के संग अभियान–2021 कोर्ट कैम्प झूपेलाव

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 48 / 2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. दिलीप सिंह पुत्र जब्बरसिंह के आम मुख्तियार जब्बरसिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपुत निवासी झुपेलाव तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।	1 2	रूपसिंह पुत्र गणेशसिंह जाति पुरोहित निवासी झुपेलाव तहसील सोजत जिला पाली तहसीलदार(भूमिधारक) सोजत जिला पाली राजस्थान।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः–

1. श्री गजेन्द्र दवे एवं श्री सुनिल दवे अधिवक्तागण प्रार्थीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार, सोजत उपस्थित ।

–: निर्णय :– दिनांक :– 01.11.2021

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा झुपेलाव पटवार हल्का झुपेलाव, तहसील सोजत में स्थित अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि जोत की भूमि ख0न0 1048 तथा अप्रार्थी संख्या 02 की कृषि भूमि के खाता संख्या 01 के खसरा नंबर 1051 / 1256 व खसरा नंबर 1050 / 1255 किस्म बा0अ0 की जोत में से नया मार्ग अपनी खातेदारी कृषि जोत भूमि खसरा संख्या 1047 तक जाने हेतु आशय रखते है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा नंबर 1047 में आने–जाने अर्थात् आवागमन हेतु 30 फुट चौडा रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि जोत की भूमि ख0न0 1048 तथा अप्रार्थी संख्या 02 की कृषि भूमि के खाता संख्या 01 के खसरा नंबर 1051 / 1256 व खसरा नंबर 1050 / 1255 किस्म बा0अ0 में से प्राप्त करने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण के अपनी भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते की डी0एल0सी0 राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज0 काश्त0 अधि0 1955 के तहत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रा0 पत्र स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा ग्राम झुपेलाव, प0ह0 झुपेलाव, तह0 सोजत, जिला पाली राज0 के अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि जोत की भूमि ख0न0 1048 तथा अप्रार्थी संख्या 02 की कृषि भूमि के सरकारी खाता संख्या 01 के खसरा नंबर 1051 / 1256 व खसरा नंबर 1050 / 1255 किस्म बा0अ0 में से 30 फुट चौड़ा रास्ता जो प्रा0 पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया है, रास्ता घोषित किया जाकर

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

प्रार्थीगण की खसराजात कृषि जोत भूमि खसरा नंबर 1047 तक आने–जाने अर्थात् आवागमन रास्ता दिलाया जाने एवं रास्ते को राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 को बाद तामिली / सूचना बार बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुस्थित रहने से दिनांक 25.03.2021 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तहसीलदार, सोजत पृथक से जबाब पेश नहीं करना चाहने से जबाब प्रा0 पत्र बन्द किया गया। दिनांक 25.03.2021 को आदेशित कर तहसीलदार, सोजत से प्रार्थित रास्ते, उपलब्ध वैकल्पिक / निकटतम रास्ते तथा सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन किया गया है अथवा अथवा अत्यांतिक आवश्यकता है, के सम्बन्ध में बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। पटवारी झुपेलाव भू0अ0 निरीक्षक चाड़वास, तहसीलदार, सोजत द्वारा बरूवे मौका रूबरू मौतबिरान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 01.11.2021 को प्रस्तुत वस्तुस्थिति सा0मि0 की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार, सोजत सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार, सोजत ने स्वीकारोक्ति सहमति व्यक्त की है। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि हस्ब प्रा0 पत्र एवं मौका रिपोर्टानुसार प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा संख्या 1047 में आवागमन हेतु 30 फुट चौड़ा रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि जोत की भूमि ख0न0 1048 तथा अप्रार्थी संख्या 02 की सरकारी कृषि भूमि के खाता संख्या 01 के खसरा नंबर 1051 / 1256 व खसरा नंबर 1050 / 1255 में से उसकी माठ के सहारे सहारे दिलवाया जाकर राजस्व रेकर्ड में तरमीम किये जाने की ईश्तदुआ की है। **तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चाड़वास द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं मौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा** रिपोर्टानुसार दिनांक 01.11.2021 को न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्ररकण 48 / 2020 में वादी दिलीपसिंह पुत्र जब्बरसिंह के आम मुख्तियार जब्बरसिंह बनाम अप्रार्थीगणरूपसिंह पुत्र गणेशसिंह वगेरह में ग्राम झुपेलाव मे प्रार्थी की खातेदारी कृषि जोत भूमि के खसरा नम्बर 1047 में आवागमन हेतु रास्ता मय मौतबिरान रूबरू मौके पर पहुँचे। खसरा नंबर 1047 में वर्तमान में मौके पर रास्ता नहीं है। प्रार्थी ने उक्त भूमि में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि जोत की भूमि ख0न0 1048 तथा अप्रार्थी संख्या 02 की कृषि भूमि के सरकारी खाता संख्या 01 के खसरा नंबर 1051 / 1256 व खसरा नंबर 1050 / 1255 से रास्ता चाहा है। उक्त खसरे में आवागमन हेतु नजदीकी अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि जोत की भूमि ख0न0 1048 रकबा 3.0000 है0 बा0अ0 में से 0.0048 है0 तथा अप्रार्थी संख्या 02 की सरकारी कृषि भूमि के खसरा नंबर 1051 / 1256 रकबा 0.8700 है0 बा0अ0 में से 0.0582 है0 व खसरा नंबर 1050 / 1255 रकबा 1.5500 है0 बा0अ0 में से 0.0762 है0 भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित भूमि का कुल रकबा 0.1392 है0 बनता है। जिसकी वर्तमान डी0एल0सी0 कीमत 94770 / – रूपये प्रति हैक्टर है। जिसके अनुसार 0.1392 है0 की दौगुणा कुल राशि 26384 / – रूपये (छबीस हजार तीन सौ चौरासी रूपये मात्र)होते है। फर्द मौका

उप खण्ड अधिकारी

मय नजरी नक्शा उपस्थित मौतबिरान के अंगूठा/हस्ताक्षर सुदा प्रस्तुत किया, जिसमें नजदीकी रास्ता अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि जोत की भूमि ख0न0 1048 तथा अप्रार्थी संख्या 02 की कृषि भूमि के खाता संख्या 01 के खसरा नंबर 1051/1256 व खसरा नंबर 1050/1255 से मौका फर्द में लाल स्याही से दर्शाया गया है। उक्त रास्ता भू0अभि0निरी0 चाड़वास एवं सम्बन्धित पटवारी की रिपोर्टानुसार उक्त प्रस्तावित ही है जो वर्तमान में नजदीकी रास्ता है। वस्तुस्थिति मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा संलग्न पत्रावली है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, उभयपक्षों को सुना तथा रेकर्ड का अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी की खातेदारी जोत में पहूँच हेतु सुविधाजनक मार्ग हेतु आवेदन किया जाना परिलक्षित नहीं होकर तहसीलदार, सोजत भू0अ0निरी0 चाड़वास, पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से उक्तानुसार रास्ता दिलवाया जाना अत्यांतिक आवश्यक है, जबकि निकटतम मार्ग अप्रार्थी संख्या 01 की कृषि जोत की भूमि ख0न0 1048 किस्म बा0अ0 तथा अप्रार्थी संख्या 02 की कृषि भूमि के खाता संख्या 01 के खसरा नंबर 1051/1256 व खसरा नंबर 1050/1255 किस्म बा0अ0 में से होकर पाया जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष Clean Hand से उपस्थित हुए है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण करने तथा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्तानुसार देय प्रतिकर की दोगुणा भूमि रास्ता प्रयोजनार्थ दिलवाया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा झुपेलाव, पटवार हल्का झुपेलाव, तह0 सोजत जिला पाली के खसरा नंबर 1047 रकबा 4.2100 है0 किस्म बा0अ0 की भूमि में आवागमन हेतु (आने जाने के रास्ते हेतु) अप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी कृषि जोत की भूमि ख0न0 1048 तथा अप्रार्थी संख्या 02 की सिवाय चक कृषि भूमि के खाता संख्या 01 के खसरा नंबर 1051/1256 व खसरा नंबर 1050/1255 बा0अ0 की निम्नांकित कृषि भूमि में से सम्बद्ध खातेदारानों के नाम के आगे अंकित कृषि भूमि ख0न0 1051/1256 में से रकबा 0.0582 हैक्टर (6 X 97 वर्गमी0) ख0न0 1051/1255 में से रकबा 0.0762 हैक्टर (6 X 127 वर्गमी0) तथा ख0न0 1048 में से रकबा

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली)

0.0048 हैक्टर (6 X 8 वर्गमी0) कुल रकबा 0.1392 हैक्टर की 94770/-रूपये प्रति हैक्टर से दौ गुणा 26384/-रू0 उनके नाम के सामने अंकित भूमि प्रतिकर देय राशि का भुगतान निम्नांकित रूप से उनके हिस्सानुसार तहसीलदार, सोजत द्वारा राज्य मद में जरिए चालान एवं सम्बद्ध खातेदार को भुगतान/राज्यमद में जमा करवाये जाने पर उपलब्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

क्र0 सं0	ख0नं0 व किस्म	कुल रकबा (है0) में	खातेदारो/काश्तकारो के नाम मय वल्दियत कौमियत व सकूनत	रास्ते की भूमि का रकबा है0 में	प्रतिकर की राशि रूपये में
1	1051/ 1256 बा0आ0	0.8700	तहसीलदार, सोजत	0.0582 (6 X 97)	11031/-
2	1050/ 1255 बा0आ0	1.5500	तहसीलदार, सोजत	0.0762 (6 X 127)	14443/-
3	1048 बा0आ0	3.000	रूपसिंह पुत्र गणेशसिंह	0.0048 (6 X 8)	910/-
			योग :-	0.1392 है0	26384/-

तदानुसार राजस्व रेकर्ड/नक्शा में अमल दरामल/तरमीम किया जावें। उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा। तहसीलदार, सोजत स्तर पर उक्त आदेश की पालना अर्थात प्रतिकर भुगतान/राज्यमद में जमा करवाने की कार्यवाही सम्पादित की जावें। निर्णय की प्रति व मौका रिर्पोट मय नजरी नक्शा को निर्णय का एक भाग माना जाये एवं इनकी प्रति तहसीलदार, सोजत को भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021
शिविर- झूपेलाव

यह निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021
शिविर- झूपेलाव